झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

संख्या–3 / वि०स्वा०–33 / 2012–क– 92

प्रेषक,

एल० खियांग्ते,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक 17/6/14

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत स्वीकृत योजना आदिम जन जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कुल राशि 38,41,632 / – (अड़तीस लाख एकतालीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) मात्र राशि का आवंटन

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या–91 दिनांक–17/6/14 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति कल्याण के तहत संचालित आदिम जन जातियों के विशेष स्वास्थ्य योजना निमित्त राशि कुल 50.00 लाख रू० (पचास लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के स्तम्भ–1 में अंकित योजना एवं विवरणी के स्तम्भ–8 में उल्लिखित कुल राशि 38,41,632 / – (अड़तीस लाख एकतालीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2– उपर्युक्त कुल भारित व्यय की राशि 38,41,632 / –, (अड़तीस लाख एकतालीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) का विकलन वित्तीय वर्ष 2014–15 के निम्न योजना शीर्ष के अन्तर्गत होगा–

आय–व्यय शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–03–आदिम जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) – 51पी222502796030679 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि की निकासी पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची होंगे। संबंधित उपायुक्त, इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त अपने स्तर से गत वर्ष आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषित करेंगे तथा कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करायेंगे एवं विशिष्ट पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण, दुमका, साहेबगंज तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़ एवं गोड्डा को चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे।

17/6

4— इस राशि व्ययन पदाधिकारी, विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, दुमका एवं साहेबगंज तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़ एवं गोड्डा होंगे।

5— इस योजनान्तर्गत राशि के व्यय हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं:—

(i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजना का व्यय एवं प्रगति प्रतिवेदन लाभान्वितों की संख्या सहित प्रत्येक तीन माह पर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

6— यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प पत्र संख्या—807 दिनांक 31.05.2011 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या—1016, दिनांक 04.07.2005 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7— इस राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—1800, दिनांक 15.07.2003 एवं पत्रांक—118, दिनांक 12.1.07 तथा वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार किया जायगा तथा कोषागार संहिता भाग—1 के नियम— 300 में निरूपित सिद्धान्तों का भी अनुपालन किया जायेगा।

8— इस पर विभागीय मंत्री / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9— इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

10— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

27/6/14

(एल० खियांग्ते)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3 / वि०स्वा०—33 / 2012—क— 92 राँची, दिनांक 17/6/14

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखंड, राँची / राज्यपाल के सलाहकार (कल्याण विभाग) के आप्त सचिव / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, राँची / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त, साहेबगंज / उप विकास आयुक्त, साहेबगंज / संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण / जिला कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज / विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कल्याण विभाग / बजट शाखा, कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एल० खियांग्ते)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3 / वि०स्वा०—33 / 2012—क— 92 राँची, दिनांक 17/6/14

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एल० खियांग्ते)
सरकार के प्रधान सचिव।

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत आदिम जन जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना मद में पहाडियों के लिए संथाल परगना प्रमंडलान्तर्गत संचालित पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के संचालन हेतु आवंटित राशि की विवरणी :–

वार्षिक मानक दर (एक वर्ष के लिए) :–

1– ए० एन० एम० का पारिश्रमिक – 151X26 X 12 = 47112/– (दर 151/– रू०, 26 दिन प्रतिमाह एक वर्ष के लिए)

2– पुरूष स्वास्थ्य प्रदर्शक का पारिश्रमिक– 151X26 X 12 = 47112/– (दर 151/– रू०, 26 दिन प्रतिमाह एक वर्ष के लिए)

3– चिकित्सक का पारिश्रमिक – 400X4 X 12 = 19200/– (दर 400/– रू०, प्रति विजिट, एक माह में चार विजिट)

4– दवा के लिए – 1,00,000/–

आदिम जन जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत उपकेन्द्रों की सूची :–

क्र०	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का नाम	जिला	ए०एन०एम० का पारिश्रमिक	पुरूष स्वास्थ्य प्रदर्शक का पारिश्रमिक	चिकित्सक का पारिश्रमिक	दवा के लिए राशि	पूरे वर्ष के लिये आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महुआगढ़ी	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
2	महुलपहाडी	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
3	छातापाडा	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
4	सिदपहाड़ी	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
5	धोड़ीवाद	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
6	उपरमुर्गाथली	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
7	तालडंगाल	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
8	गरड़ी	दुमका	47112	47112	19200	100000	213424
9	मरगरो	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
10	धमधमियाँ	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
11	चमदी	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
12	कूलभंगा	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
13	मरीकुटी	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
14	अम्बेरी	साहेबगंज	47112	47112	19200	100000	213424
15	बड़ाखम्भी	पाकुड़	47112	47112	19200	100000	213424
16	मुकरी पहाड़	पाकुड़	47112	47112	19200	100000	213424
17	राज पोखर	गोड्डा	47112	47112	19200	100000	213424
18	सहपी	गोड्डा	47112	47112	19200	100000	213424
	कुल योग:–		848016	848016	345600	1800000	3841632

(कुल रूपये अड़तीस लाख एकतालीस हजार छः सौ बत्तीस रू०) **मात्र।**

(एल० खियांग्ते)
सरकार के प्रधान सचिव।
17/8

पत्र संख्या - 3/WE.SWA.33/12/92 दिनांक - 17-Jun-20

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 51 222502796030679 2225 . अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 02 . अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 03 . आदिम जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना अनुदान 79 . सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	37084	PRJWSB001 SALAN BHUINYA DY. DIRECTOR, TRIBAL WELFARE	3,841,632.00 रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार छः सौ बत्तीस

योग: 3,841,632.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार छः सौ बत्तीस

(LKHIANGTE)

PRINCIPAL SECRETARY

 172.16.20.1 Run Date 17/6/2014

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 51 कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष - 2225 . अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों - 02 . अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना - 03 . आदिम जातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	51P222502796030670	Total
					सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Project Building	PRJWSB001	Salan Bhuinya	Dy. Director, Tribal Welfare	38,41,632.00 (37084)	38,41,632.00

कुल आवंटित राशि :- □ 38,41,632.00 (अडतीस लाख इकतालीस हजार छः सौ बत्तीस **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(LKHIANGTE)
PRINCIPAL SECRETARY

17/6